

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 120/2023

अन्तर्गत धारा 251A RT Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
पूनमाराम पुत्र भूराराम जाति जाट, निवासी चक मौखाब तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. खेमाराम पुत्र रूपाराम 2. चुतराराम पुत्र रूपाराम जाति जाट, निवासी चक मौखाब तहसील शिव, जिला बाड़मेर 3. इन्द्रसिंह पुत्र जवाहरसिंह 4. उदयसिंह पुत्र आम्बसिंह 5. उम्मेदसिंह पुत्र जुगतसिंह 6. किशनसिंह पुत्र आम्बसिंह 7. गौतमसिंह पुत्र सगतसिंह 8. गोपालसिंह पुत्र आम्बसिंह 9. चुतरसिंह पुत्र जवाहरसिंह 10. जगदीशसिंह पुत्र सगतसिंह 11. जेदूसिंह पुत्र आम्बसिंह 12. देवीसिंह पुत्र सगतसिंह 13. धुड़ीकंवर पत्नी आम्बसिंह 14. प्रेमसिंह पुत्र मूलसिंह 15. बांकसिंह पुत्र चिमनसिंह 16. भोजराजसिंह पुत्र जुगतसिंह 17. मुकनसिंह पुत्र चिमनसिंह 18. मुकनसिंह पुत्र मूलसिंह 19. मनोहरसिंह पुत्र जुगतसिंह 20. लालसिंह पुत्र चिमनसिंह 21. समधाकंवर पत्नी जुगतसिंह 22. हरकंवर पत्नी मूलसिंह 23. हरखसिंह पुत्र जवारसिंह 24. हरचंदसिंह पुत्र जुगतसिंह 25. हीरसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी चैनोणियों की ढाणी बाटाडू, तहसील बायतु जिला बाड़मेर 26. दौलाराम पुत्र ओपाराम 27. मीना चौधरी पत्नी गोसाईराम 28. सारोदेवी पत्नी हनुमानराम जाति जाट, निवासी चक मौखाब तहसील शिव, जिला बाड़मेर 29. तहसीलदार शिव

उपस्थित :- 1. अधिवक्ता प्रार्थी - श्री बालाराम गोदारा।

2. अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 व 2 - श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 09.02.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थी का खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 22, 44/22 रकबा 4.5325, 1.8535 हैक्टेयर मौजा चक मौखाब, तहसील शिव में आये हुए है। जिसमें प्रार्थी के रहवासी ढाणी बनी हुई है तथा प्रार्थी काबिज काशत है। प्रार्थी को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत खसरा नम्बर 45/22 रकबा 6.7987 हैक्टेयर एवं विप्रार्थी संख्या 3 से 28 के खेत खसरा नम्बर 158 रकबा 24.9691 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में प्रार्थी के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काशत करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थी को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता आगे कटाण मार्ग से जुड़ने हेतु चाहा गया है। उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। अतः प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपने कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावे। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते हेतु घोषित भूमि की क्षतिपूर्ति/प्रतिकर राशि जमा करवाने हेतु वचनबद्ध है।


24

प्रार्थी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा होने पर प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 22 में आने जाने हेतु विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खातेदारी खसरा नम्बर 45/22 में से चौड़ाई 15 फीट रास्ता डामर सड़क से खसरा नम्बर 49/27 में से दिया जाना तय किया गया है। खसरा नम्बर 45/22, 46/27, 47/27, 48/27 व 49/27 के सेढे से होकर मौके पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है, जो खसरा नम्बर 49/27 की सीमा तक जाती है। उक्त ग्रेवल सड़क के खसरा नम्बर 49/27 की सीमा से डामर सड़क तक उक्त प्रस्तावित रास्ता राजीनामा के संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार विप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा सहमति प्रदान की गई है। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा खसरा नम्बर 45/22 रकबा 6.7987 हैक्टेयर में से 0.0566 हैक्टेयर भूमि बिना प्रतिफल राशि लिये रास्ते हेतु घोषित करवाने बाबत् सहमति प्रदान की गई। राजीमाना उभयपक्ष की उपस्थिति में बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।


प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पूर्व में प्रार्थी को अपनी खातेदारी में आवागमन हेतु विप्रार्थीगण की खातेदारी से नवीन रास्ता चाहा गया है, किन्तु वर्तमान में प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य राजीनामा होने से राजीनामा अनुसार खसरा नम्बर 45/22 रकबा 6.7987 हैक्टेयर में से 0.0566 हैक्टेयर की भूमि राजीनामा के संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश फरमाया जावे। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए राजीनामा अनुसार आवेदन स्वीकार किया जाकर रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई।

हमने प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 से 28 की खातेदारी भूमि से रास्ता चाहा गया है, परन्तु बाद में प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य राजीनामा हो जाने से केवल विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी से रास्ता कटाण बाबत् सहमति होने से शेष विप्रार्थीगण से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। राजीनामा अनुसार प्रार्थी को अपनी खातेदारी में आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 45/22 रकबा 6.7987 हैक्टेयर में से 0.0566 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित रास्ता परिशिष्ट 'अ' अनुसार बिना प्रतिफल राशि लिये दिये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 15 फीट है। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा पक्षकारान् द्वारा पेश राजीनामा के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः ऐसी स्थिति में पक्षकारान् के मध्य आपसी सहमति होने पर राजीनामा के संलग्न प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत मौजा चक मौखाब, पटवार मण्डल मौखाब तहसील शिव के खसरा नम्बर 22 व 44/22 रकबा क्रमशः 4.5325, 1.8535 हैक्टेयर की भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 45/22 रकबा 6.7987 हैक्टेयर में से रकबा 0.0566 हैक्टेयर भूमि राजीनामा के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार विप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा बिना प्रतिफल राशि लिये सहमति प्रदान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने के आदेश किये जाकर तहसीलदार शिव को अमलदरामद किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। राजीनामा के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'अ' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

  
उपखण्ड अधिकारी  
(SDO) शिव

आदेश आज दिनांक 09.02.2024 को सरे इजलास सुनाया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
(SDO) शिव